भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं. †**2133**
दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लए

ऑफशोर रेत खनन

†2133. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के सहयोग से देश में ऑफशोर रेत खनन करने के लए नि वदाएं आमंत्रित की हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वशेषकर केरल में वे कौन से स्थान हैं जहां नि वदाएं आमंत्रित की गई हैं;
(ग) क्या रेत खनन के मद्देनजर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले क्षरण का कोई उ चत वैज्ञानिक आकलन कया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. कशन रेड्डी)

(क): केंद्र सरकार ने संयुक्त अनुज्ञप्ति अर्थात गवेषण अनुज्ञप्ति-सह-उत्पादन पट्टा देने के लिए 28.11.2024 को 13 अपतटीय ब्लॉकों की नीलामी की पहली श्रृंखला शुरू की है। पात्रता की शर्तें पूरी करने वाला कोई भारतीय नागरिक, अथवा कंपनी अ धनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी इन खनिज ब्लॉकों की नीलामी में भाग ले सकती है।

(ख): तटीय वनियामक क्षेत्र, 2019 के अनुसार तटीय वनियामक क्षेत्र के भीतर रेत, चट्टानों और अन्य उप-स्तरीय पदार्थों का खनन प्रतिबं धत है, जो समुद्र की ओर बारह समुद्री मील

तक फैला हुआ है। नीलामी के लए अ धसू चत अपतटीय ब्लॉक केरल के तट से दूर प्रादे शक जल से परे हैं। इन ब्लॉकों का ववरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	अपतटीय क्षेत्र	तट / समुद्र	क्षेत्र (वर्ग कमी में)	पदार्थ
1.	कोलम सीएस ब्लॉक -1	केरल से परे	पश्चिमी तट, अरब सागर	79.00	निर्माण बालू
2.	कोलम सीएस ब्लॉक -2	केरल से परे	पश्चिमी तट, अरब सागर	78.00	निर्माण बालू
3.	कोलम सीएस ब्लॉक -3	केरल से परे	पश्चिमी तट, अरब सागर	85.00	निर्माण बालू

(ग) और (घ): समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय राज्यों और द्वीपों में 130 समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित किया है तथा 106 तटीय और समुद्री स्थलों की पहचान की गई है और समुद्री प्रजातियों के संरक्षण का ध्यान रखने के लए उन्हें महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव व वधता क्षेत्रों (आईसीएमबीए) के रूप में प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों को छोड़कर अपतटीय ब्लॉक बनाए गए हैं।

अपतटीय क्षेत्र खनिज (वकास और वनियमन) अ धनियम, 2002 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में पारिस्थितिकी संतुलन, जैव- व वधता तथा मछुआरों के हितों की रक्षा के लए पर्याप्त प्रावधान हैं।

अपतटीय क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, प्रचालन अधिकार के निष्पादन से पहले, बोलीदाताओं को उत्पादन कार्य शुरू करने के लिए लागू कानूनों के तहत यथा आवश्यक सभी सहमतियां, अनुमोदन, परमिट, अनापत्ति आदि प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा, अपतटीय क्षेत्र खनिज संरक्षण और वकास नियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, उत्पादन योजना के सवाय कोई उत्पादन कार्य नहीं किया जाएगा। उत्पादन योजना में *अन्य बातों के साथ-साथ* आधारभूत जानकारी, प्रभाव आकलन और शमन उपायों को दर्शाने वाली पर्यावरण प्रबंधन योजना शा मल है।

इसके अलावा, अ धनियम की धारा 16क में एक गैर-लाभकारी स्वायत्त निकाय के रूप में अपतटीय क्षेत्र खनिज न्यास की स्थापना करने का प्रावधान है। तदनुसार, दिनांक 09.08.2024 के का.आ. 3246 (अ) द्वारा अपतटीय क्षेत्र खनिज न्यास की स्थापना की गई है। तटीय राज्यों को न्यास के शासी निकाय और कार्यकारी स मति का सदस्य बनाया गया है।

न्यास को प्राप्त होने वाली नि धयों का उपयोग *अन्य बातों के साथ-साथ* अपतटीय क्षेत्रों के संबंध में अनुसंधान, प्रशासन, अध्ययन और संबं धत व्यय तथा कए गए प्रचालनों के कारण अपतटीय क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, अपतटीय क्षेत्र में कसी भी आपदा के घटित होने पर राहत प्रदान करने तथा कए गए गवेषण या उत्पादन प्रचालनों से प्रभा वत व्यक्तियों के हित और लाभ के लए कया जाएगा।

*****